(b) if so, the details of this robbery with amount looted;

(c) whether sufficient measures have been taken to prevent incidents of robbery in Banks for the safety of staff and customers in view of past experience of such incidents;

(d) if so, the reasons for happening of such robbery;

(e) whether Government propose to take some more stringent steps to prevent such incidents in future; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) There was during the period in question only one case of bank robbery which occurred in the year 1997 in which an amount of Rs. 2,81,244/- belonging to the bank was looted at gun-point. In addition, there were 3 cases of attempt to rob the bank, 2 reported in 1996 and one in 1997, in which 4 persons were arrested.

(c) to (f) The steps taken to prevent incidents of bank robbery include installation of emergeny alarm in bank branches, increasing the number of armed guards in banks, intensified patrolling around banks specially during banking hours, verification of security guards of banks and arrangement of necessary firing practice for them and periodic review of security measures in banks with the bank manager concerned.

बिहार में उग्रवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति

1624. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में 1 जनवरी, 1997 से लेकर आज तक उग्रवादी संगठनों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) बिहार के किन-किन जिलों में उग्रवादी संगठन विद्यमान हैं; और

(ग) सरकार ने राज्य में उग्रवादी संगठनों द्वारा की जा रही हत्याओं को रोकने के लिए क्या योजनाएं तैयार की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार में 1 जनवरी, 1997 से 30 जून, 1997 तक उग्रवादी संगठनों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या 132 थी।

(ख) उनकी गतिविधियां मुख्यतः राज्य के पलामू, गया, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, चतरा, औरंगाबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, नालन्दा, सिवान, बक्सर और रोहतास जिलों में देखने में आई हैं।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के भिन्न नक्सलवाद-विरोधी अभियानों के समन्वय कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, और राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिए उपयोग सूचना के परस्पर आदान-प्रदान में सुधार लाने की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए, उन्हें उन्नत किस्म के हथियार उपलब्ध कराने के लिए, अर्द्ध सैनिक बलों आदि की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता देकर उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और हथियारों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे आवंटनों के अतिरिक्त भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे

1625. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995 से 1997 के बीच देश में कुल कितने हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए और ये दंगे किन-किन राज्यों में हुए थे;

(ख) इन दंगों में मरने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) ऐसे दंगों की रोकथाम के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) सूची II भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था"